


राजस्थान सरकार
कृषि आयुक्तालय, पंत कृषि भवन, जयपुर

प्री-बिड बैठक कार्यवाही विवरण


वर्ष 2017-18 में कृषि विभागीय योजनाओं में उच्च गुणवत्ता के पौध संरक्षण रसायन/बायो एजेन्ट/बायो पेस्टीसाईड/फेरोमोन ट्रेप/जैव उर्वरक/सूक्ष्म पोषक तत्व उर्वरक एवं जैविक खाद आदि कृषकों को उचित दर पर व्यापक उपलब्धता/वितरण सुनिश्चित करने के उद्देश्य से दिनांक 02.06.2017 को दर अनुमोदन का ड्राफ्ट ई-प्रक्योरमेन्ट साईट एवं विभागीय वेबसाईट पर अपलोड किया गया था जिसके क्रम में दिनांक 08.06.2017 को प्रातः 10.00 बजे प्री-बिड बैठक का आयोजन किया गया जिसमें उपापन समिति के सदस्यों एवं विभिन्न निर्माताओं/प्रतिनिधियों ने भाग लिया ।

सर्वप्रथम उपस्थित सभी निर्माताओं/प्रतिनिधियों को टेण्डर डॉक्यूमेन्ट के प्रारूप के बारे में विस्तृत जानकारी दी गयी एवं उपस्थित सदस्यों से टेण्डर डॉक्यूमेन्ट पर सुझाव आमंत्रित किये। उपस्थित निर्माताओं/प्रतिनिधियों द्वारा बैठक में कुछ सुझाव दिये गये जिन्हें निर्धारित प्रारूप एवं शुल्क जमा कराने के उपरान्त सांय 03.00 बजे तक प्रस्तुत करने हेतु निवेदन किया गया। निर्धारित अवधि में 7 निर्माताओं के लिखित सुझाव प्राप्त हुये निर्माता/प्रतिनिधि द्वारा दिये गये सुझावों/सवालों का अवलोकन करने के पश्चात् उपापन समिति की सिफारिश तथा बिड डॉक्यूमेन्ट में प्रस्तावित संशोधन का विवरण निम्नानुसार है :

निर्मातावार सुझाव/सवाल (Query)	उपापन समिति की सिफारिश के अनुसार बिड डॉक्यूमेन्ट में किये जाने वाले संशोधन
निर्माता - मै.एग्रोकिंग पेस्टीसाईड प्रा. लि. जयपुर	
वेट क्लीयरेन्स सर्टिफिकेट 31.12.2016 के स्थान पर 1.03.2017 तक की अवधि का प्राप्त करने का सुझाव दिया गया।	यथावत। आर.एफ.पी. दस्तावेज के अनुसार
के.वी.एस.एस./जी.एस.एस. को हेण्डलिंग चार्जेज देय होता है। अतः एफ.ओ.आर. आपूर्ति में अनलोडिंग के चार्जेज के.वी.एस.एस./जी.एस.एस. द्वारा वहन करने के सम्बन्ध में सुझाव दिया गया।	यथावत। आर.एफ.पी. दस्तावेज के अनुसार
एस.एस.आई. यूनिट्स के लिए Price and Purchase Preference को स्पष्ट करने का सुझाव दिया गया।	यथावत। आर.एफ.पी. दस्तावेज के अनुसार
किसी कम्पनी विशेष के एकाधिकार/पेटेन्टेड उत्पाद को टेण्डर प्रक्रिया में शामिल नहीं करने का सुझाव दिया गया।	यथावत। आर.एफ.पी. दस्तावेज के अनुसार
एल.डी. के लिए रजिस्ट्रार, कॉ-ऑपरेटिव द्वारा समय पर कार्यादेश देने एवं भुगतान करने की आवश्यकता का सुझाव दिया गया।	यथावत। आर.एफ.पी. दस्तावेज के अनुसार
सेल टैक्स क्लीयरेन्स सर्टिफिकेट लेटेस्ट लिए जाने का सुझाव।	यथावत। आर.एफ.पी. दस्तावेज के अनुसार
निविदाएं केवल निर्माताओं से आमंत्रित की गयी है। अतः डिस्ट्रीब्यूटर एवं डीलर की सूची का कोई औचित्य नहीं होने का सुझाव दिया गया।	यथावत। आर.एफ.पी. दस्तावेज के अनुसार
सूक्ष्म तत्व, जैव उर्वरक, बायो पेस्टीसाईड एवं जैविक खाद की क्वालिटी परफोरमेन्स रिपोर्ट के पैरामीटर तय करने के सम्बन्ध में सुझाव दिया गया।	यथावत। आर.एफ.पी. दस्तावेज के अनुसार




मैसर्स यूनिवर्सल बायोटेक	
विभाग द्वारा सहकारी समितियों को अनुदान के क्लेम प्रस्तुत करने के उपरान्त भुगतान 60 दिवस के स्थान पर 15 दिवस में किया जावे।	यथावत। आर.एफ.पी. दस्तावेज के अनुसार
न्यूनतम अनुमोदित दर पर 3 इच्छुक सफल निविदा –दाताओं के स्थान पर सभी तकनीकी रूप से योग्य सफल निविदादाताओं का अनुमोदन किया जावे।	यथावत। आर.एफ.पी. दस्तावेज के अनुसार
मै. यू.पी.एल.	
न्यूनतम अनुमोदित दर पर 3 इच्छुक सफल निविदा –दाताओं के स्थान पर सभी तकनीकी रूप से योग्य सफल निविदादाताओं का अनुमोदन किया जावे।	यथावत। आर.एफ.पी. दस्तावेज के अनुसार
दरों की तुलना करते समय जिन फर्मों के डिपो/गोदाम राजस्थान में स्थापित है एवं जिन फर्मों द्वारा राजस्थान में वेट दिया जा रहा है। उनको राजस्थान राज्य की फर्म मानते हुए दरों की तुलना की जावे।	यथावत। आर.एफ.पी. दस्तावेज के अनुसार
निविदा में पौध संरक्षण रसायन की अनुमानित कीमत राशि रूपये 30.00 करोड़ रखी गई है। अतः इसके आधार पर वार्षिक टर्न ओवर अनुमानित कीमत से ज्यादा किये जाने का सुझाव दिया गया।	यथावत। आर.एफ.पी. दस्तावेज के अनुसार
मै. जीएसपी ग्रोप साईन्स प्रा.लि.	
न्यूनतम अनुमोदित दर पर 3 इच्छुक सफल निविदा –दाताओं के स्थान पर सभी तकनीकी रूप से योग्य सफल निविदादाताओं का अनुमोदन किया जावे।	यथावत। आर.एफ.पी. दस्तावेज के अनुसार
दरों की तुलना करते समय जिन फर्मों के डिपो/गोदाम राजस्थान में स्थापित है एवं जिन फर्मों द्वारा राजस्थान में वेट दिया जा रहा है। उनको राजस्थान राज्य की फर्म मानते हुए दरों की तुलना की जावे।	यथावत। आर.एफ.पी. दस्तावेज के अनुसार
निविदा में पौध संरक्षण रसायन की अनुमानित कीमत राशि रूपये 30.00 करोड़ रखी गई है, तो राशि रूपये 02.00 करोड़ टर्न ओवर वाली फर्मों द्वारा पूर्ण आपूर्ति किया जाना कैसे संभव है। अतः वार्षिक टर्न ओवर राशि रूपये 50.00 करोड़ से ज्यादा रखे जाने का सुझाव दिया गया।	यथावत। आर.एफ.पी. दस्तावेज के अनुसार
मै. घरडा केमिकल्स लि.	
न्यूनतम अनुमोदित दर पर 3 इच्छुक सफल निविदा –दाताओं के स्थान पर सभी तकनीकी रूप से योग्य सफल निविदादाताओं का अनुमोदन किया जावे।	यथावत। आर.एफ.पी. दस्तावेज के अनुसार





दरों की तुलना करते समय जिन फर्मों के डिपो/गोदाम राजस्थान में स्थापित हैं एवं जिन फर्मों द्वारा राजस्थान में वेट दिया जा रहा है। उनको राजस्थान राज्य की फर्म मानते हुए दरों की तुलना की जावे।	यथावत। आर.एफ.पी. दस्तावेज के अनुसार
निविदा में पौध संरक्षण रसायन की अनुमानित कीमत राशि रुपये 30.00 करोड़ रखी गई है। जिसके लिए वार्षिक टर्न ऑवर बहुत कम है। अतः वार्षिक टर्न ऑवर कम से कम राशि रुपये 50.00 से 100.00 करोड़ रखे जाने का सुझाव दिया गया।	यथावत। आर.एफ.पी. दस्तावेज के अनुसार
मैसर्स श्री मंगलम एग्रोफर्टीलाइजर्स	
सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों व स्टार्टअप ईकाइयों के लिए टर्न ऑवर में छूट दिये जाने का सुझाव दिया है।	यथावत। आर.एफ.पी. दस्तावेज के अनुसार
मैसर्स कृषि विकास सहकारी समिति लि.	
सहकारी समितियां जो सहकारी समिति अधिनियम के तहत पंजीकृत हैं। उन समितियों को भी निविदा प्रक्रिया में आमंत्रित किये जाने का सुझाव दिया गया है।	निम्नानुसार स्वीकार कर लिया गया है। Co-oprative societies registered under Co-oprative Societies Act.


राज्य में जीएसटी 1 जुलाई, 2017 से लागू होने की संभावना को ध्यान में रखते हुए निर्माता/प्रतिनिधियों द्वारा जीएसटी के बारे में दिये गये सुझावों को मद्देनजर रखते हुए कमेटी ने विचार-विमर्श उपरान्त बीओक्यू में Excise duty & surcharge को अलग से सम्मिलित किया गया एवं वित्तीय बिड परिपत्र में बिन्दु संख्या 08 नया सम्मिलित किया गया जिसमें जीएसटी का तदानुसार समायोजन किये जाने का उल्लेख किया गया।


संलग्न: :उपरोक्तानुसार



सहायक निदेशक, कृषि (पौ.सं.)
मुख्यालय, जयपुर


उप निदेशक, कृषि (उर्वरक)
मुख्यालय, जयपुर



संयुक्त निदेशक, कृषि (पौ.सं.)
मुख्यालय, जयपुर


संयुक्त निदेशक, कृषि (आदान)
मुख्यालय, जयपुर


संयुक्त निदेशक, कृषि (एटीसी)
मुख्यालय, जयपुर


अति. निदेशक, कृषि (आदान)
मुख्यालय, जयपुर


अति. निदेशक, कृषि (विस्तार)
मुख्यालय, जयपुर


वित्तीय सलाहकार, कृषि,
राजस्थान, जयपुर।

List of participants in pre-bid meeting held on 08.06.2017 at 10:00 AM in Conference Room, Pant Krishi Bhawan, Jaipur

SN	Name of participant	Name of Department/firm
1.	Shri Ghanshyam Sharma	Financial Advisor, DoA
2.	Shri L.N. Kumawat	Additional Dir. Of Agri. (Ext.) DoA
3.	Shri H.L. Meena	Additional Dir. Of Agri. (Input) DoA
4.	Shri H.S. Meena	Joint Director of Agri. (PP) DoA
5.	Shri S.K. Hudda	Joint Director of Agri. (ATC) DoA
6.	Shri R.G. Sharma	Joint Director of Agri. (Input) DoA
7.	Shri Mahendra Jain	Dy. Director of Agri. (Feti.) DoA
8.	Shri B.L.Jat	Assistant Director of Agri. (PP) DoA
9.	Smt. Manju Devi Sivasiya	Agriculture Officer (PP) DoA
10.	Shri. Vijay Pal	M/s P.I. Industries
11.	Shri. Narayan Solanki	M/s Microplex India.
12.	Shri. Alchitwatts	M/s Aanad Energy
13.	Shri. J.P. Sharma	M/s Udit Oversis
14.	Shri. N.S Tater	M/s Hari Agro Tech Yavatmal
15.	Shri Pramod Kumar Jain	M/s Shri Krishna Pesticides
16.	Shri. Lekh Raj Sharma	M/s Asian Agro Industries
17.	Shri. Hari	M/s Hari Agrotech.
18.	Shri. Harsh Goyal	M/s KVSS.
19.	Shri. Ajay Joshi	M/s Crystal Crop Protection
20.	Shri. Umesh Sharma	M/s UPL
21.	Shri. Arvind Jain	M/s Ostwal Phoshum Pvt. Ltd.
22.	Shri. Mohit Jindal	M/s Parle Biocare
23.	Shri. Vimal N. Yadav	M/s Shri Mangalam Agro
24.	Shri. Govind Karan Danga	M/s Agroking Pesticides (P.) Ltd.
25.	Shri. Suresh Tomar	M/s Insecticides India Ltd.
26.	Shri. Bhagawan Dutt.	M/s Hindustan Insecticides Ltd.
27.	Shri. Arun Kumar	M/s Balaji Associates
28.	Shri. Ghanshyam Sain	M/s Prabhat Ferti. & Chem. Works
29.	Shri Vipin Kumar Sharma	M/s Crystal Crop Protection Pvt Ltd.
30.	Shri. Satyendra Pal Singh	M/s Monomagic Industries
31.	Shri V.B. Singh	M/s UPL
32.	Shri. G.S. Shekhawat	M/s Gharda Chemicals